102

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 18, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री छतराम देवांगन, सदस्य, रायपुर और बिलासपुर की शालाओं में टीकाकरण से छात्र-छात्राओं पर हुए दुष्प्रभाव की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, राजनांदगांव जिले के अनेक वन क्षेत्रों में मालिक मकबूजा लकड़ी का अवैध व्यापार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, सदस्य, सीधी जिले के साडा कर्मियों द्वारा नेहरू बाल उद्यान में स्थापित मूर्ति को एक समारोह हेतु उखाड़े जाने की घटना की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भोला सिंह, सदस्य, अंबिकापुर तहसील के अनेक क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के लामटा थानान्तर्गत पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, रायपुर जिले के मोनेट इस्पात कारखाने के प्रदूषण से फसलों की हुई क्षति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 40 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

30 मि. (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री विधि एवं संसदीय कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 39 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

4. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1991, 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 तथा वार्षिक लेखा - वर्ष 1992-93 पर चर्चा.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. " इस सदन का मत है कि भू-राजस्व संहिता में ऐसा संशोधन किया जावे कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के पास जो 7.50% चरनोई (गऊचर) भूमि सुरक्षित रहती है, उसको 5% किया जाये एवं 2.50% भूमि ग्राम के ही भूमिहीनों को वितरित की जाये."

निर्धारित समय

(2) श्री लल्लूसिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि चिरमिरी से अनूपपुर तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को शहडोल तक चलाया जाय."

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " इस सदन का मत है कि प्रदेश में 25 या 25 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक निराश्रित विधवाओं को 200 रूपये मासिक पेंशन, उनके बच्चों को शिक्षा एवं आवासहीनों के लिये आवास की व्यवस्था शासन करे."

(4) श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. " इस सदन का मत है कि प्रदेश के कृषकों को सिंचाई ट्यूबवेल खनन हेतु वर्तमान में दी जा रही आर्थिक सहायता को बढ़ाकर प्रति ट्यूबवेल रूपये तीस हजार की जाय तथा यह सहायता वर्ष 1995-96 के लिये हो और प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता का पुनरीक्षण किया जाय."

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 28 नवम्बर, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 302) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 8 दिसम्बर, 1994